रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1414] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2015/आषाढ़ 11, 1937
No. 1414] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2015/ASADHA 11, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2015

का.आ. 1795(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में युरेनियम में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल है, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 19 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 12.01.2015 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 20 जनवरी, 2015 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 20 जुलाई, 2015 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/9/97-आइ.आर.(पी.एल.)]

मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2015

S.O. 1795(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the services in Uranium Industry which is covered by item 19 of the First Schedule to the Industrial Disputes

Act,1947 (14 of 1947) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, as was notified for a period of six months with effect from 20th January, 2015 vide this Ministry's Notification dated 12.01.2015.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said Industry to be a Public Utility Service for the purpose of the aforesaid Act, for a period of six months with effect from 20th July, 2015.

[F. No. S.11017/ 9 / 97–IR(PL)]

MANISH GUPTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.